(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 13/2025

रजिस्ट्रेशन नं0:– 2025/40

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ (सायल)

बनाम

देवलाल उम्र 63 वर्ष पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी ग्राम सकतपुर थाना अटरू जिला बाराँ (गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)

2– श्री शैलेष मेहता अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 14.07.2025

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल देवलाल पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी ग्राम सकतपुर थाना अटरू जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना अटरू क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल जुआ, सट्टा एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना अटरू में वर्ष 1998 से वर्ष 2025 तक कुल 11 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त समस्त प्रकरणो में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को समस्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 01.05.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं [illegible] को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया। प्रकरण मे गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित [illegible] स्थिति दी गई। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो श[illegible] उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:45:33 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गै[illegible] के विरूद्व पुलिस थाना अटरू में वर्ष 1998 से वर्ष 2025 तक कुल 11 आपरा[illegible] प्रकरण अन्तर्गत धारा [illegible] पीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त समस्त प्रकरणो में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है।

कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

गैरसालय के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस कहा गया कि गैरसायल के विरूद्व गत 3–4 वर्षो से कोई केसो का आपराधिक रिकार्ड नही है, जो केस थाना अटरू द्वारा बताये गये है उन सभी केसो मे निर्णय हो चुका है तथा वर्तमान मे कोई केस गैरसायल के विरूद्व विचाराधीन नही है। गैरसायल के विरूद्व इस्तगासे मे बताये गये केस भी साधारण प्रकृति के केस है जिनका निस्तारण हो चुका है तथा इस्तगासे मे बताये गये केस गंभीर प्रकृति के नही है गैरसायल अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अपराधर की श्रेणी मे नही आता है। इसलिये गैरसायल के विरूद्व की गई कार्यवाही निरस्तनीय है। थाना अटरू द्वारा गैरसायल के विरूद्व बताये गये अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति के नही है तथा सभी प्रकरण काबिल जमानतीय है न ही गैरसायल आदतन अपराधी है गैरसायल ने आज दिन तक किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई लडाई–झगडा नही किया है। थाना अटरू द्वारा आपराधिक प्रकरणों की सूची मे बताये गये केसो की निर्णय की प्रतियां इस्तगासे के साथ पेश नही की गई है इस कारण आपराधिक सूची रिकार्ड मान्य नही है गैरसायल के विरूद्व अमल मे लाई गई कार्यवाही मिथ्या आधारों पर होने से खारिज फरमाई जावे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जावे।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अटरू में वर्ष 1998 से वर्ष 2025 तक कुल 11 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त समस्त प्रकरणो में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि देवलाल पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी सकतपुर थाना अटरू जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 11 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल देवलाल पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी सकतपुर थाना अटरू जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, अटरू जिला बारां से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल देवलाल पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी सकतपुर थाना अटरू जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र अटरू बारां से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, मोठपुर जिला बारॉ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 30.07.2025 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मोठपुर, जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जिला बारां को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना अटरू जिला बारां क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर थानाधिकारी पुलिस थाना मोठपुर, जिला बारॉ के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:45:33 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ